प्रेस विज्ञप्ति
जानपद बस्ती
दिनांक 16.01.2025

थाना पुरानी बस्ती पुलिस, थाना गौर पुलिस व थाना वाल्टरगंज पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही/पुलिस मुठभेड़ में तीन गौ तस्कर गिरफ्तार, 06 अदद गौवंश, एक अदद पिकअप, 02 अदद अवैध कट्टा, 02 अदद ज़िंदा व 02 खोखा कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री अभिनंदन द्वारा जनपद में जनपदीय नाकाबंदी/ गौ तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक-15.01.2025 को रात्रि गश्त के दौरान थाना गौर को जरिये आर0टी0 सूचना प्राप्ति हुई कि गोवंश पशु लदा हुआ एक पिकअप तेजी से NH-28 की तरफ जा रहे हैं, जिस पर थाना गौर पुलिस द्वारा उक्त पिकअप का पीछा किया गया जोकि थाना वाल्टरगंज क्षेत्रान्तर्गत होते हुए थाना पुरानी बस्ती क्षेत्र के पाण्डेय पाण्डेय बाजार होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे जिनकी गिरफ्तारी करने हेतु थाना पुरानी बस्ती पुलिस, थाना गौर पुलिस व थाना वाल्टरगंज पुलिस टीम द्वारा की जा रही संयुक्त कार्यवाही के दौरान थाना पुरानी बस्ती क्षेत्रान्तर्गत सबदेईया कला के पास से गुजरते वक्त पुलिस टीम को देखकर उन पर फायर कर दिया गया, जिस दौरान थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती व थानाध्यक्ष वाल्टरगंज के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी जिसके जवाबी कार्यवाही/ पुलिस मुठभेड़ के दौरान संबंधित 03 अभियुक्तों 1-असीम पुत्र अकरम जिसके दायें पैर में गोली लगी है 2-राजेश निषाद पुत्र झिनाकान जिसके दायें पैर में गोली लगी है 3-अब्दुल रहीम पुत्र हजरत अली जिसके दोनों पैर में गोली लगी है, जिनको गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1-एक अदद पिकअप मय 06 अदद गोवंश, 2-दो अदद अवैध कट्टा, 3-दो अदद ज़िंदा व दो अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया, जहां घायल तीनों अभियुक्तों का सदर अस्पताल बस्ती में दवा- इलाज चल रहा है |

गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना पुरानी बस्ती पर मु0अ0सं0 10/2025 धारा-325,109,105/3(5) , 111(2)(1) B.N.S., 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 3/25/27 Arms Act पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है |

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1-असीम पुत्र अकरम निवासी बंगला आजादपुर थाना कोतवाली जनपद रामपुर (उ0प्र0) |

2-राजेश निषाद पुत्र झिनाकान निवासी ग्राम मोहम्मदपुर कटहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर (उ0प्र0) |

3-अब्दुल रहीम पुत्र हजरत अली निवासी ग्राम कुच्चा पिपरा थाना पटेहरवा जनपद कुशीनगर (उ0प्र0) |

बरामदगी का विवरण-

1- छः अदद गौवंश, एक अदद पिकअप |

2- दो अदद अवैध कट्टा, दो अदद ज़िंदा व दो खोखा कारतूस |

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग गोवंश पशुओं को पकड़ कर पिकअप में लादकर बिहार राज्य ले जाकर बेच देते हैं जिससे मिलने वाले पैसे से अपना व अपने परिवार का जिवकोपार्जन करते हैं | हम

लोग आप लोगों के द्वारा पकड़े गए गोवंश पशुओं को पिकअप पर लाद कर दिनांक-15.01.2025 को जनपद गोण्डा से बिहार राज्य में बेचने हेतु ले जा रहे थे | पुलिस टीम पर फायर करने के सम्बन्ध में पूछा गया तो अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि हम लोग अपनी गिरफ्तारी के डर से आप लोगों पर फायर कर दिये थे |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती महेश सिंह जनपद बस्ती |

2- थानाध्यक्ष गौर गजेन्द्र प्रताप सिंह जनपद बस्ती |

3- थानाध्यक्ष वाल्टरगंज उमाशंकर त्रिपाठी जनपद बस्ती |

4- व0उ0नि0 एखलाक अहमद, उ0नि0 शैलेन्द्र शुक्ल थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती |

5- हे0का0 राकेश यादव, का0 शैलेश सिंह, का0 विजय पाल सिंह थाना पुरानी बस्ती |

6- का0 देवेन्द्र निषाद, का0 चन्द्र प्रकाश शुक्ल थाना गौर जनपद बस्ती |

7- हे0का0 सुनील कुमार, हे0का0 लखीचन्द गुप्ता, का0 रवि शंकर थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती |